न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), कक्ष संख्या 04, देवरिया।

उपस्थित– शिखा रानी जायसवाल, (एच0जे0एस0)
(जे0ओ0 कोड नं0- U P 1876)

सिविल निगरानी संख्या–14/2017
CNR No-UPDEO1003735-2022

परमहंस उर्फ परमंस वउमर 74 साल पुत्र शिव औतार साकिन भवानीपुर तपा कचुआर परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया ।

.....पुनरीक्षणकर्ता

–बनाम–

01– कृष्ण कुमार वउमर 32 साल पुत्र रामनक्षत्र
02– शालू वउमर 10 साल | पुत्री तथा पुत्रगण कृष्ण कुमार दूबे
03– सूर्यनरायन वउमर 08 साल | नाबालिगान ववलायत कृष्ण कुमार दूबे
04– तेज नरायन वउमर 04 साल | पिता हकीकी
05– रमायन वउमर 82 साल पुत्र शिवअवतार
निवासी महजरापुर पो0 बभनी तप्पा बैरौना परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया ।

.....प्रतिपक्षीगण

–:– निर्णय –:–

01– यह व्यवहार पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या–10, देवरिया में संस्थित मूलवाद संख्या–1468/2021 परमहंस उर्फ परमंस –प्रति– कृष्ण कुमार आदि में दाखिल प्रार्थना–पत्र 19ग अन्तर्गत धारा–10 सी0पी0सी0 पर पारित आलोच्य आदेश दिनॉकित– 06–09–2022 से क्षुब्ध होकर वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल की गयी है।

02– संक्षेप में मामलें का तथ्य इस प्रकार है कि पुनरीक्षणकर्ता/मूलवाद के वादी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या– 10, देवरिया के न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/मूलवाद के प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद, मूलवाद संख्या– 1468/2021 परमहंस उर्फ परमंस –प्रति– कृष्ण कुमार आदि स्थाई निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया था जिसमें मूलवाद के प्रतिवादीगण द्वारा एक प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–19ग अन्तर्गत धारा– 10 सी0पी0सी0 दाखिल किया था, जिसके विरूद्ध मूलवाद के वादी परमहंस द्वारा अपनी आपत्ति 33ग दाखिल किया, जिसपर विद्वान विचारण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से

अवलोकन व परिशीलन के उपरान्त विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनॉक 06.09.2022 को विस्तृत आदेश पारित करते हुए मूलवाद के प्रतिवादी द्वारा दखिल प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–19ग को स्वीकार किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा वर्तमान पुनरीक्षण दाखिल की गयी है।

03– पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण में यह आधार लिया गया है कि आदेश विद्वान विचारण न्यायालय तथ्य एवं विधान के विपरीत है। आदेश विद्वान विचारण न्यायालय सरसरी तौर पर पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन न कर बिना किसी उपमति के पारित किया गया है। वाद संख्या– 441/2019 व 1468/2021 में आराजी नम्बर 68 रकवा 0.6680 हे0 के निस्फ हिस्सा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का उपशम मॉगा गया है। इस प्रकार समान उपशम नहीं माने जा सकते । पक्षकारों के संशोधन में भी समानता नही है। अलग अलग उपशम पक्षकार व वाद कारण होने के कारण यह वाद धारा– 10 सी0पी0सी0 में स्थगित किए जाने योग्य नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन न कर कानूनी भूल किया है, जिसमें आदेश Purverese with Law है । Wrong Notion of Law है । विद्वान विचारण न्याालय ने आदेश में कोई विशलेषित उपस्थिति नही दिया है, जिससे आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आदेश निरस्त करने एवं व्यवहार निगरानी स्वीकार करने तथा मुकदमा की अग्रिम कार्यवाही विधिनुसार संचालित करने का निवेदन किया है।

04– पुनरीक्षणकर्ता की ओर से अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप मे सूची 9ग से वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि में पारित आदेश दिनॉकित– 06–09–2022 की सत्यप्रति कागज संख्या– 10ग/1 ता 10ग/2, वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि में दाखिल प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 19ग की सत्यप्रति कागज संख्या– 11ग/1 ता 11ग/4, वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि में दाखिल शपथ–पत्र की सत्यप्रति कागज संख्या– 12ग/1 ता 12ग/4, वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि में दाखिल प्रार्थना पत्र 33ग की सत्यप्रति कागज संख्या– 13ग/1 ता 13ग/3, वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि दाखिल प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 31ग की सत्यप्रति कागज संख्या– 14ग/1 ता

14ग/2 व सूची 15ग से वाद संख्या– 1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि के दावा की सत्यप्रति कागज संख्या–16ग/1 ता 16ग/5, वाद संख्या–441/2019 परमंस उर्फ परमहंस पाण्डेय बनाम कृष्ण कुमार दूबे आदि का वाद–पत्र की सत्यप्रति कागज संख्या– 17ग/1 ता 17ग/6 दाखिल किया गया है।

05– प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

06– पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्था दाखिल किया गया है।

I- National Institute of M.H. and N. S. Vs C. Parameshwara AIR 2005 Supreme Court 242.

II- Aspi Jal and Anr. Vs Khushroo Rustom Dadyburjor. Civil Appeal No 2908 of 2013 (arising ourt of S.L.P.(C) No 14808 of 2012) D/- 5-04-2013. AIR 2013 Supreme Court 1712.

07– प्रतिपक्षीगण की ओर से अपने कथनों के समर्थन में कोई विधि व्यवस्था प्रस्तुत नहीं की गयी है।

08– पुकार पर उभयपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

–:– <u>निष्कर्ष</u> –:–

09– इस न्यायालय द्वारा निगरानी के अन्तर्गत अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता व उसके औचित्य के बारे में तथा उसमें की गई कार्यवाही की नियमितता के बारे में समाधान करने के पश्चात् निष्कर्ष दिया जाना है।

10– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत निगरानी निगरानीकर्ता द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज जू0डि0 कक्ष संख्या–10, देवरिया द्वारा वाद संख्या–1468/2021 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार आदि में पारित आदेश दिनांकित 06.09.2022 से क्षुब्ध होकर इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अलग–अलग उपशम पक्षकार व वादकारों होने के बाद भी वाद संख्या–1468/2021 को स्थगित कर दिया गया है। निगरानीकता/वादी द्वारा न्यायालय सिविल जज जू0डि0 कक्ष संख्या–10 देवरिया में वाद संख्या–441/2019 आराजी नं0–68 रकबा 0.334 हे0 व स्थित मौजा भवानीपुर तप्पा कचुआर परगना सलेमपुर मझौली तहसील व जिला देवरिया के बावत प्रस्तुत किया गया था। तत्पश्चात्

पुनः वादी/निगरानीकर्ता परमहंस द्वारा उसी आराजी नं0–68 रकबा 0.668 हे0 के 1/2 भाग यानी 0.334 हे0 के संबंध में विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया था। पश्चातवर्ती वाद वाद संख्या–1468/2021 प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 19ग अन्तर्गत धारा–10 सी0पी0सी0 में सुनवाई करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश के आलोच्य आदेश में पारित किया गया है। धारा–10 सी0पी0सी0 यह उपबंधित करती है कि ''कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा जहॉ ऐसा वाद उसी न्यायालय में या भारत के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और वैसी ही अधिकारिता रखता है या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित है।''

11– पत्रावली में वाद संख्या–1468/2021 परंमहंस बनाम कृष्णकुमार आदि व वाद संख्या–441/2019 परमहंस बनाम कृष्ण कुमार दूबे आदि के वाद पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी/निगरानीकर्ता परमहंस आराजी नं0–68 रकबा 0.334 हे0 का ही मालिक है। उसी के बावत उसके द्वारा वाद संख्या–1468/2021 में स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है और वाद संख्या–441/2019 में दानपत्र मंसूखी व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष याचित किया गया है। वादी/निगरानीकर्ता द्वारा वाद संख्या–1468/2021 में आराजी नं0–68 रकबा 0.668 हे0 जिसमें उसका मात्र 1/2 अंश है जो कुल रकबा 0.334 हे0 होता है, उसमें सम्पूर्ण रकबे को दर्शाकर उसके 1/2 अंश के सहस्वामी रामायन को भी प्रोफार्मा प्रतिवादी बनाया गया है। स्वयं वादी/निगरानीकर्ता द्वारा अपने वाद संख्या–1468/2021 के वाद पत्र के पैरा –1 में इस तथ्य को स्वीकार किया गया है तथा सहस्वामी रामायन जो प्रतिवादी संख्या–5 है, के विरूद्ध किसी अनुतोष की मॉग नहीं की गयी है। दोनों ही वाद में पक्षकार समान हैं। विवादित विषयवस्तु भी समान है तथा अनुतोष भी समान है तथा दोनों ही वाद आदेश पारित किये जाते समय एक

ही न्यायालय में लंबित था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पाश्चातवर्ती वाद संख्या–1468/2021 को स्थगित किये जाने के संबंध में आदेश पारित कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

व्यवहार निगरानी संख्या–65/2022, परमहंस उर्फ परमंस –बनाम– कृष्ण कुमार आदि निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू0डि0), कक्ष संख्या–10, देवरिया में संस्थित मूलवाद संख्या–1468/2021 परमहंस उर्फ परमंस –प्रति– कृष्ण कुमार आदि में दाखिल प्रार्थना–पत्र 19ग अन्तर्गत धारा–10 सी0पी0सी0 पर पारित आलोच्य आदेश दिनॉकित– 06–09–2022 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की एक प्रति विचारण न्यायालय को अविलम्ब प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉक/देवरिया
मार्च 24, 2026

(शिखा रानी जायसवाल)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
कक्ष सं0–04, देवरिया

मेरे द्वारा निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके सुनाया गया ।

दिनॉक/देवरिया
मार्च 24, 2026

(शिखा रानी जायसवाल)
अपर जनपद न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),
कक्ष सं0–04, देवरिया

Digitally signed by SHIKHA RANI JAISWAL
Date: 2026.03.24 16:16:45 IST
Reason: Judgement
Location: ADJ-4/Spl. (E.C. Act), Deoria.